"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2009—कार्तिक 22, शक 1931

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-61/20-एक/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम **छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) सेवा** भर्ती नियम, 2009 कहलायें ।
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार ;
   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;
   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम के अंतर्गत भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा ;
   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;
   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;
   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
   (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित);

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा ;

(ट) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) भर्ती नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा कर सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जावेगी ।

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) सेवा में भर्ती करते समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" के प्रावधानों तथा इस नियम के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश भी लागू होंगे ।

7. <u>सेवा में नियुक्ति</u>.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. <u>सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें</u>.— परीक्षा में प्रतियोगिता हेतु या चयन किये जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

1. <u>आयु</u>—(क) चयन/परीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में निर्धारित आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची—तीन के कॉलम (4) में दिये गये अनुसार आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(ग) सीधी भर्ती के समस्त कर्तव्य पदों पर महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, परंतु सामान्य उच्चतर आयु सीमा में विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगीः—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित, ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा में से अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो ।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक) जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक) जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें ;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे संविदा पूरी होने पर दोषमुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है।)

(5) ऐसे अधिकारी जो अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवा से मुक्त किये गये हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(पांच) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(छः) अस्पृश्यता निवारण हेतु छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1984 (छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1984) के अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(सात) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यथियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(आठ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(नौ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, परंतु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टीप :– उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को किसी परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात् में सेवा से त्याग पत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी गयी हो, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

(दस) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ग्यारह) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(बारह) आयु सीमा के संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(2) <u>शैक्षणिक अर्हतायें</u>.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताये होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन में दर्शाई गई है।

(3) **फीस.**– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन/परीक्षा के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार की अनुमति नही दी जायेगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**–(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों में ली जावेगी जैसा कि सरकार, समय–समय पर आयोग के परामर्श से निर्धारित करें।

(2) आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन ऐसे आदेशो के अनुसार किया जायेगा जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी करें।

(3) सेवा में सीधी भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा इस नियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(4) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे तथा ऐसा आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) होगा।पदों को शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार भरा जायेगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य है, की नियुक्ति पर विचार उसी कम में किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिन्हे प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(7) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अथ्यर्थी उनके लिए समस्त आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्तियां दोबारा विज्ञापित की जायेगी तथा केवल इन्ही अभ्यर्थियों का साक्षात्कार द्वारा चयन किया जायेगा। यदि पुनः विज्ञापन जारी करने के पश्चात् भी कोई रिक्तियॉ बिना भरे रह जाती है तो इन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के बीच से भरा जायेगा तथा पश्चात्वर्ती चयन के दौरान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में रिक्तियॉ आरक्षित रखी जाएंगी।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (जिसमें अग्रगणित रिक्तियां सम्मिलित है) विज्ञापित कुल रिक्तियों के पैंतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(8) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए जहां अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गई है तथा लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचितैं जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या अपेक्षित अनुभव के साथ आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो लोक सेवा आयोग अनुसूचित्त जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. <u>**आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**</u>—(1) आयोग उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा की आयोग अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किए गये हों, योग्यता कम में बनाई गई सूची शासन को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम सूची में आये हो।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. <u>**पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**</u>—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालो में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उपनियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

14. <u>**पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्ते.**</u>—(1) समिति अनुसूची—चार के कॉलम (2) के उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदो पर जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षो की सेवा (चाहे स्थापनापन्न रूप से या मूल रूप से) जैसा

अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित है, पूर्ण कर ली हो अथवा और उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.– (1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जनवरी के प्रथम दिवस को आहूत की जाती है उस कलेण्डर वर्ष से गणना की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और न कि फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से।

परंतु आपात कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस दिनांक से गणना की जायेगी जिसमें वे समान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क. 2266-1987-I (3)-67 दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार नियुक्त किये गये हो।

परंतु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा की विहित कालावधि उसके द्वारा पूरा करने के आधार पर उसे चयन श्रेणी/पदोन्नति के लिए वरिष्ठ व्यक्ति से प्राथमिकता देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) चयन के क्षेत्र में सामान्यतः योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनिऑरिटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में शामिल किये गये अधिकारियों की संख्या सात गुणा तक सीमित होगी।

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित अनुसार उपयुक्त अधिकारियों की अपेक्षित संख्या, क्षेत्र में उपलब्ध न हो तो समिति द्वारा आवश्यक विचार कर लिखित में कारणों को दर्शाते हुए, क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा।

15. **<u>उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.</u>–(1)** समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त इसके लिए उक्त कालावधि के दौरान अनपेक्षित रिक्तियों को भरने हेतु एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी ।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी।

(4) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रकिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि राज्य अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है तो समिति चयन, छानबीन,

पुनरीक्षण के दौरान प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारण को लेखबद्ध करेगी तथा समिति अवक्रमण के संबंध में लिखित में कारण अभिकथित करेगी ।

16. **आयोग से परामर्श.**–(1) विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप खण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा आयोग को निम्नलिखित के साथ भेजी जायेगी–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख ।

(दो) सेवा के ऐसे समस्त सदस्यों के अभिलेख जिनका सूची में की गयी सिफारिशों के अनुसार, अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो,

(3) यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा आयोग/अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई सदस्य, पदोन्नति समिति में उपस्थित रहे हो तथा बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उपनियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी।

17. **चयन सूची.**– (1) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, सेवा के सदस्यों के अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पद से अनुसूची चार के कालम (3) में उल्लिखित पद पर पदोन्नत करने के लिए चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाए किन्तु उसकी वैधता, इसके तैयार करने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**–(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों ।

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नही हैं अथवा चयन सूची में आगामी क्रम में नही है, सेवा में नियुक्ति कर सकेगी, यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि रिक्तिया तीन माह से अधिक समय के लिये संभाव्य नहीं है।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो ।

(3) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नत नही किया जायेगा, यदि उसके **विरूद्ध** विभागीय जांच चल रहा हो या अभियोजन संस्थित हो, जब तक की जांच या अभियोजन यथास्थिति पूरा न हो गया हो।

19. परिवीक्षा.— सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

20. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

21. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. निरसन और व्यावृत्ति.— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 05 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	स्थायी पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक लोक शिक्षण	01	प्रथम	16400 – 20000
2.	संचालक लोक शिक्षण	01	प्रथम	16400 – 20000
3.	अपर संचालक लोक शिक्षण	01	प्रथम	14300 – 18300
4.	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	02	प्रथम	12000 – 16500
5.	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	प्रथम	12000 – 16500
6.	उप संचालक लोक शिक्षण	25	प्रथम	10000 – 15200
7.	सहायक संचालक (सामान्य)/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	24 61	द्वितीय	8000 – 13500
8.	सहायक संचालक सांख्यिकीय/योजना	21	द्वितीय	8000 – 13500
9.	सहायक संचालक (क्रीडा)	01	द्वितीय	8000 – 13500
10.	सहायक संचालक अधीक्षक	01	द्वितीय	8000 – 13500
11.	सहायक संचालक (विधि प्रकोष्ठ)	01	द्वितीय	8000 – 13500
12.	प्राचार्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा	01	द्वितीय	8000 – 13500
13.	लेखा अधिकारी	22	द्वितीय	8000 – 13500
14.	व्याख्याता (विधि प्रकोष्ठ)	04	द्वितीय	5500 – 9000
15.	व्याख्याता शारीरिक शिक्षा/ सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी	27	द्वितीय	5500 – 9000
16.	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	268	द्वितीय	5500 – 9000
17.	एम.आई.एस. प्रशासक	19	द्वितीय	5500 – 9000
18.	व्याख्याता सह सहायक प्रोग्रामर	80	द्वितीय	5500 – 9000
19.	राज्य मुख्य ग्रंथपाल	01	प्रथम	12000 – 16500
20.	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	01	प्रथम	10000 – 15200
21.	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल	02	द्वितीय	8000 – 13500
22.	जिला ग्रंथपाल	03	द्वितीय	6500 – 10500

अनुसूची–दो
(नियम – 06 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	कार्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कार्य पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालक लोक शिक्षण	01	–	–	100% प्रतिनियुक्ति	भारतीय प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2.	संचालक लोक शिक्षण	01	–	100%	–	विभागीय पदोन्नति द्वारा।
3.	अपर संचालक लोक शिक्षण	01	–	100%	–	विभागीय पदोन्नति द्वारा।
4.	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	02	–	100%	–	विभागीय पदोन्नति द्वारा।
5.	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	–	–	100% प्रतिनियुक्ति	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
6.	उप संचालक लोक शिक्षण	25	–	100%	–	विभागीय पदोन्नति द्वारा, वर्तमान में प्राचार्य/समकक्ष पद को उपसंचालक के रूप में पदोन्नति दी जायेगी। किन्तु पात्र सहायक संचालक/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध होंगे तो वर्तमान प्रचलित नियम स्वमेव समाप्त हो जायेगा। अर्थात् सहायक संचालक /विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जो 5 वर्ष अपने पद का अनुभव प्राप्त कर लेगें उप संचालक के पद के लिए पात्र होंगे। उस समय अन्य सहायक संचालक योजना, क्रीड़ा, अधीक्षण में 10 वर्ष के अनुभव पश्चात् पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।
7.	स्हायक संचालक लोक शिक्षण (सामान्य)/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	24 61	–	100%	–	विभागीय पदोन्नति द्वारा। (1) 10 वर्ष अनुभव वाले सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से 10% पदों में पदोन्नत होंगे। (2) 90% पद 5 वर्ष अनुभव वाले प्राचार्य से तथा 90% एवं 10% उपरोक्त व्यवस्था तब होगी जब सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 10 वर्षो का अनुभव पूर्ण कर लेंगे तब क्र. 02 अनुसार ही व्यवस्था रहेगी एवं 10% पद भी प्राचार्य से ही भरे जायेंगे। वर्तमान में प्राचार्य, सहायक संचालक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी समकक्ष हैं। सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुपलब्धता में, प्राचार्य ही सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा

						अधिकारी के रूप में पदस्थ होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद डाइंग कैडर हो गये हैं, ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास के अनुसार प्राचार्य का पद समाप्त हो जायेगा, प्राचार्य, सीमित परीक्षा द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ होंगे।
8.	सहायक संचालक सांख्यिकी / योजना	21	–	100%	–	–
9.	सहायक संचालक (क्रीडा)	01	–	100%	–	–
10.	सहायक संचालक अधीक्षक	01	–	100%	–	–
11.	सहायक संचालक (विधि प्रकोष्ठ)	01	–	100%	–	–
12.	प्राचार्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेन्ड्रा	01	–	100%	–	–
13.	लेखाधिकारी	22	–	75%	25%	वित्त विकास से प्रतिनियुक्ति द्वारा
14.	व्याख्याता (विधि प्रकोष्ठ)	04	100%	–	–	–
15.	व्याख्याता शारीरिक शिक्षा / सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी	27	–	100%	–	राज्य स्तरीय वरिष्ठता के अनुसार विभागीय पी. टी. आई. से पदोन्नति होगी। व्यक्ति के उपलब्ध नहीं होने पर उस अनुपात में प्रशिक्षित शिक्षा कर्मी वर्ग 2 से सीमित परीक्षा के द्वारा पदोन्नति की जायेगी।
16.	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	268	100%	–	–	100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
17.	एम.आई.एस. प्रशासक	19	–	100%	–	100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
18.	व्याख्याता सह सहायक प्रोग्रामर	80	100%	-	–	प्रथम बार व्याख्याता सह सहायक प्रोग्रामर के लिए सीधी भर्ती इसके पश्चात् पद (100%) पदोन्नति द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर से भरा जायेगा।
19.	राज्य मुख्य ग्रंथपाल	01	-	100%	–	–
20.	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	01	-	100%	–	–
21.	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल	02	-	100%	–	–
22.	जिला ग्रंथपाल	03	25%	75%	–	–

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	व्याख्याता (विधि प्रकोष्ठ)	25	30 वर्ष	(1) विधि स्नातक । (2) जो अधिवक्ता के रुप में 3 वर्ष का अनुभव रखता हो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।	—
2	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	21	30 वर्ष	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।	—
3	व्याख्याता सह सहायक प्रोग्रामर	21	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान /सूचना प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक अथवा किसी कम्प्यूटर संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में 2 वर्ष अनुभव की समकक्ष पात्रता । या गणित/भौतिकी/सांख्यिकी विषय में स्नातक उपाधि अथवा पी.जी.डी.सी.ए. और किसी सम्बद्ध कम्प्यूटर संस्था से 01 वर्ष का अनुभव ।	
4	जिला ग्रंथपाल	27	30 वर्ष	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या निम्नलिखित पद में 05 वर्ष का अनुभव।	

टीप— छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 13 देखिये)

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अपर संचालक लोक शिक्षण	संचालक लोक शिक्षण	3 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) शासन का वरिष्ठ सचिव – सदस्य। (3) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (4) उप सचिव/संयुक्त /विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
2.	सयुक्त संचालक लोक शिक्षण	अपर संचालक लोक शिक्षण.	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
3.	उप संचालक लोक शिक्षण.	सयुक्त संचालक लोक शिक्षण	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	
	सहायक संचालक (सामान्य)/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	उप संचालक लोक शिक्षण	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	कुछ सहायक संचालक (सामान्य)/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से उप संचालक पद पर पदोन्नति 5 वर्ष पश्चात् होगी। वर्तमान में संचालक (सामान्य)/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद में 5 वर्ष अनुभव वाले प्राचार्य उपलब्ध नहीं होंगे इसलिए संचालक (सामान्य) /विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के उपलब्ध होने

					तक 5 वर्ष अनुभवी प्राचार्य, उप संचालक पद में पदोन्नत होंगे। योग्य संचालक (सामान्य)/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
4.	सहायक संचालक खेल/ योजना / अधीक्षण/ लेखा अधिकारी	उप संचालक लोक शिक्षण	10 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	प्राचार्य के रूप में 5 वर्ष अनुभव पश्चात् विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी /सहायक संचालक बनेंगे। 10 वर्ष अनुभव वाला प्राचार्य ही उप संचालक बनेगा। इसलिए सहायक संचालक 10 वर्ष पश्चात् उप संचालक होंगे। सहायक संचालक/ शारीरिक शिक्षा / योजना / अधीक्षण संवर्ग एवं लेखाधिकारी दोन्नति उपरांत संचालनालय लोक शिक्षण में कार्यरत रहेंगे।
5.	प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला	सहायक संचालक सामान्य/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
6.	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	10 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद में 10 वर्ष अनुभव पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी में पदोन्नति होगी।
7.	व्याख्याता शारीरिक शिक्षा /सहायक जिला कीड़ा अधिकारी	प्राचार्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय /सहायक संचालक (कीड़ा)	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–

8.	योजना अधिकारी / सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	सहायक संचालक योजना	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव / अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
9.	अधीक्षक वर्ग (संचालनालय)	सहायक संचालक	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव / अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
10.	व्याख्याता (विधि प्रकोष्ठ)	सहायक संचालक विधि	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव / अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
11.	वरिष्ठ लेखा संपरीक्षक	लेखा अधिकारी	5 वर्ष	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । (2) स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । (3) संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। (4) उप सचिव / अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
12.	व्यायाम शिक्षक	सहायक जिला कीड़ा अधिकारी / व्याख्याता शारीरिक शिक्षा।	5 वर्ष	(1) संचालक लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण – सदस्य (3) उप संचालक लोक शिक्षण – सदस्य सचिव । (4) संचालक एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा मनोनीत – सदस्य।	–
13.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर / डॉटा इन्ट्री ऑपरेटर	व्याख्याता सह सहायक प्रोग्रामर /एम. आई.एस. प्रशासक	5 वर्ष (सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर) डॉटा इन्ट्री ऑपरेटर	(1) संचालक लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण – सदस्य (3) उप संचालक लोक शिक्षण – सदस्य सचिव ।	3 वर्ष के अनुभव के पश्चात् पदोन्नति दी जायेगी।

			उच्च वेतनमान के लिए 5 वर्ष का अनुभवतथा निम्न वेतनमान के लिए 7 वर्ष का अनुभव पदोन्नति की पात्रता होगी	**(4)** संचालक, एस सी ईआर टी द्वारा मनोनीत–सदस्य **(5)** प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय – सदस्य।	
14.	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	राज्य मुख्य ग्रंथपाल	3 वर्ष	**(1)** लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित – अध्यक्ष । **(2)** स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव – सदस्य । **(3)** संचालक, लोक शिक्षण – सदस्य। **(4)** उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा – सदस्य सचिव।	–
15.	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	3 वर्ष	उपरोक्तानुसार	–
16.	जिला ग्रंथपाल	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल	5 वर्ष	उपरोक्तानुसार	–
17.	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) / सहायक ग्रंथपाल	जिला ग्रंथपाल	10 वर्ष	उपरोक्तानुसार	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) या सहायक ग्रंथपाल दोनों ही एक ही पद हैं, केवल नाम अलग है।

Raipur, the 13th November 2009

NOTIFICATION

S. No. F 1-61/20-I/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh School Education Gazetted Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement. - (1)** These rules may be called the Chhattisgarh School Education (Gazetted) Service recruitment rules, 2009.
(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -** In these rules, unless the context otherwise requires ;
(a)"Appointing Authority" in respect of service means the State Government ;
(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission ;
(c) "Examination" means the Competitive Examination conducted for the recruitment under rule ;
(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;
(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;
(f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules ;
(g) "Schedule Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article – 341 of the Constitution of India ;
(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article – 342 of the Constitution of India ;
(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by in the notification number F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department
(As amended by the State Government from time to time);
(j) "Service" means the Chhattisgarh School Education gazetted Service ;
(k) "Director" means Director, Public Education Chhattisgarh ;
(l) "State" means the State of Chhattisgarh ;

3. **Scope and Application. -** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of services) Recruitment Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.** - The Service shall consist of the following persons, namely :-

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in schedule-I ;

(ii) Person recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** - The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the schedule-I.

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** - **(1)** Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely ;-

(a) Through direct recruitment by competitive examination ;

(b) By promotion of members of the service ;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf ;

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule-II of the number of duty post, as specified in schedule-I ;

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the approval of the General Administrative Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rules as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment the provisions of "Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994" and under this rule, orders issued from time to time by the General Administrative Department shall also be applicable.

7. **Appointment to posts in the Service.** - All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible to compete in the examination/to be selected, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

1. **Age : (a)** He must have attained the age prescribed in column (3) of Schedule-III and not attained the age as given in column (4) of the said Schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of selection /Examination ;

   (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes ;

   (c) The upper age limit for female candidates shall also be relaxable up to 10 years on all duty post of direct recruitment but an additional relaxation of 5 years in general upper age limit shall be given to widow, destitute or divorced female candidates.

   (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below-

   (i) A candidate who is a permanent Government servant of Chhattisgarh should not be more then 38 years of age.

   (ii) A candidate holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in project implementation committees, applies for any other post should not be more then 38 years of age.

   (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his/her age, the period of all temporary service previously rendered by him/her up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more then one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation :– The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in the temporary service of the State or of any of the constituent units for the continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his/her registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

   (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation. - The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(1) Ex-serviceman (military) released under mustering out concession.

(2) Ex-serviceman (military) enrolled for the second time and discharged on-

- **(a)** Completion of short term engagement;
- **(b)** Fulfilling the condition of enrolment.

(3) Ex-personnels of Madras Civil Unit.

(4) Officers (military and civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers).

(5) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalided out of service.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(v) The upper age limit shall be relaxable up to two years in respect of green-card holder candidates under the Family Welfare Programme ;

(vi) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage incentive scheme. Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme for untouchablity eradication Rule, 1984 (Chhattisgarh Asparashyata Nivaran Anterjatiya Vivah Protsahan Yojna Niyam, 1984) ;

(vii) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajeev Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev Samman holder candidates and National Youth Award holder young candidates ;

(viii) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of the Chhattisgarh State Corporations / Boards ;

(ix) The upper age limit shall be relaxed in the case of Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years ;

Note – Candidates who are admitted to examination / selection under the age concession mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(x) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear in the examinations ;

(xi) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in Government Service, the age limit of 45 years shall not exceed ;

(xii) Directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable ;

(2) Educational Qualifications.– The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees.-** The Candidate would have to pay the fees prescribed by the commission.

9. Disqualification.– Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for selection/examination.

10. Commission's decision about the eligibility of the candidate shall be final.- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination / selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be interviewed.

11. Direct Recruitment by competitive examination.– (1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the commission.

(3) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Public Service, (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions issued under this rule by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) 30 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for women candidate and such reservation will be horizontal and compartment wise. Posts will be filled according to roster determined by the Government.

(5) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in the rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(7) If the sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice and selection is to be made by interviews exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancy remains unfilled, these shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be, during the subsequent selection.

Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five percent of the total vacancies advertised.

(8) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Public Service Commission it is found that the sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Public Service Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates and Other Backward Classes.

12. List of candidates recommended by the commission.– **(1)** The commission shall forward to the Government, a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determine and of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, yet are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Appointment by Promotion.- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.
(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administrative Department of the Government from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion / transfer.- (1) The committee shall consider the case of all those persons as in column (2) of schedule-IV who on the 1st day of January of that year had completed such period of service (whether officiating or substantively) in the post/ service mentioned in column (3) of schedule-IV or and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.- Method of computation for eligibility for promotion :- (1) The related year in which the meeting of Departmental Promotion Committee is convened on the 1st January they shall be calculated from that calendar year in which the Public Servant has come in to the pay scale of respective feeder cadre/part of service/ post, and not from the date of coming in the pay scale of the feeder cadre service/ part of service/ post .

Provided that after appointment to the service of the released officers of emergency commission and short service commission after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been appointed in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266-1987-I(3)-67, dated 21st October, 1967.

Provided further that no junior person shall be considered for selection grade/ promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of merit-cum-seniority ;

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

15. Preparation of the list of suitable officers.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list shall also be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) List of suitable officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the State sub-ordinate civil service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession during selection, scrutiny or revision, then the committee shall state the reasons in writing regarding supersessions.

16. Consultation with the Commission. – (1) The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and separate consultation with the Commission shall not be necessary.

(2) The list prepared in accordance with rule 15 shall then be forwarded to the Commission by the Government alongwith ;-
(i) the records of all persons included in the list ;
(ii) the records of all such members of the service who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list ;

(3) If the Chairman of the Commission or any member who are nominated by the Chairman / Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceedings of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required.

17. **Select list.- (1)** The list as finally approved by the Government shall form the select list for promotion of the members of the service from the post shown in column (2) of schedule-IV to the posts shown in column (3) of schedule-IV.

(2) The select list ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation ;

Provided that in the event of lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the service from the select list.- (1)** Appointment of the officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in select list ;

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service ;

(3) A person whose name is included in the select list, shall not be promoted, if he is facing a departmental enquiry or prosecution is about to be instituted against him, until he has been completely exonerated in that enquiry or prosecution as the case may be.

19. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in a manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and saving.– All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

Schedule - I
(Vide Rule 05)

S. N.	Name of Posts included in the service.	Total number of permanent posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Director Public Instruction	01	I	16400-20000/-
2	Director Public Instruction	01	I	16400-20000/-
3	Additional Director Public Instruction	01	I	14300-18300/-
4	Joint Director Public Instruction	02	I	12000-16500/-
5	Joint Director (Finance)	01	I	12000-16500/-
6	Deputy Director Public Instruction	25	I	10000-15200/-
7	Assistant Director (General)/Block Education Officer	24 61	II	8000-13500/-
8	Assistant Director Statistical/Planning	21	II	8000-13500/-
9	Assistant Director (Sports)	01	II	8000-13500/-
10	Assistant Director Superintendent	01	II	8000-13500/-
11	Assistant Director (Law Section)	01	II	8000-13500/-
12	Principal Physical Education College Pendra	01	II	8000-13500/-
13	Account Officer	22	II	8000-13500/-
14	Lecturer (Law Section)	04	II	5500-9000/-
15	Lecturer Physical Education/ Asst. District Sports Officer	27	II	5500-9000/-
16	Assistant Block Education Officer	268	II	5500-9000/-
17	MIS Administrator	19	II	5500-9000/-
18	Lecturer Cum Assistant Programmer	80	II	5500-9000/-
19.	State Chief Librarian	01	I	12000-16500/-
20.	Additional Chief Librarian	01	I	10000-15000/-
21.	Additional Asstt. Chief Librarian	02	II	8000-13500/-
22.	District Librarian	03	II	6500-10500/-

Schedule - II
(Vide Rule 06)

S. N.	Name of the Service	Total No. of working Posts	Percentage of the working Posts to be filled			Remarks
			Direct Recruitment	By Promotion	By Transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Director Public Instruction	01	-	-	100% deputation	By deputation from Indian Administrative Services.
2	Director Public Instruction	01	-	100%	-	By departmental promotion
3	Additional Director Public Instruction	01	-	100%	-	By departmental promotion
4	Joint Director Public Instruction	02	-	100%	-	By departmental promotion
5	Joint Director (Finance)	01	-	-	100% deputation	By deputation from State Finance Service.
6	Deputy Director Public Instruction	25	-	100%	-	By departmental promotion at present principal/equivalent post will be promoted as Deputy Director but in lability of able Assistant Director / Block Education officer the present rule will abolished. It means who is 5 year experience as Assistant Director/ Block Education officer will able for the post of Deputy Director at the time other Assistant Director Planning, Sports, superintendent having 10 years experience will able to promote.
7	Assistant Director (General)/Block Education Officer	24 61	-	100%	-	By departmental Promotion. (1) Having 10 years experience 10% of post will promoted from Assistant Block Education Officer. (2) Having 5 years experience 90% of post to from Principal 90% and 10% above situation when Assistant Block Education Officer complete their 10 years experience till then the management will to

						according to as No.02 and 10% post will be filled by the Principal. At present Principal, Assistant Director, Block Education Officer are equal. In non availability of Assistant Block Education officer. The principal will be posted as Assistant Director /Block Education Officer. Now diying cader as principal in School Education Department that the post of Principal will be end. According to at and rural development and urban Administrative and development Principal will be posted as Block Education Officer by limited examination.
8	Assistant Director Statistical/Planning	21	-	100%	-	-
9	Assistant Director (Sports)	01	-	100%	-	-
10	Assistant Director Superintendent	01	-	100%	-	-
11	Assistant Director (Law Section)	01	-	100%	-	-
12	Principal Physical Education College Pendra	01	-	100%	-	-
13	Account Officer	22	-	75%	25%	By Deputation from finance development
14	Lecturer (Law Section)	04	100%	-	-	-
15	Lecturer Physical Education / Asst. District Sports Officer	27	-	100%	-	According to state level seniority will be promoted from departmental P.T.I. In non availability of the person as the same proportionate the trained Shiksha Karmi Class 2 will be promoted by limited examination.
16	Assistant Block Education Officer	268	100%	-	-	100% post will be filled by direct recruitment.
17	M.I.S. Administrator	19	-	100%	-	100% post will be filled by direct recruitment.
18	Lecturer Cum Assistant Programmer	80	100%	-	-	First time direct recruitment for lecturer cum assistant programmer After this, post will be filled from Data [illegible]

						Operator by promotion (100%).
19.	State Chief Librarian	01	-	100%	-	-
20.	Additional Chief Librarian	01	-	100%	-	-
21.	Additional Asstt. Chief Librarian	02	-	100%	-	-
22.	District Librarian	03	25%	75%	-	-

Schedule - III
(Vide Rule 08)

S.N.	Name of he Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lecturer (Law Section)	25	30 Years	(1) Law Graduate. (2) Having 3 Years experience as a lawyer will be preferred.	-
2	Assistant Block Education Officer	21	30 Years	Post graduation degree in any subject.	-
3	Lecturer Cum Assistant Programmer	21	30 Years	Graduation in computer science /Information Technology subjects from any recognized University or equivalent eligibility 2 years experiences in computer programmings from any computer center or Graduate degree in Maths/-Physics Statistics subject or PGDCA having 01 year experience from any affiliated computer center.	-
4	District Librarian	27	30	Post Graduate degree in Library Science or having 05 Years experience in following post.	-

NB - For the candidate of Chhattisgarh State maximum age limit will be as per order of the Government Administrative department.

				(3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	
6	Assistant Block Education Officer	Block Education Officer	10 Years	(1) President of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member. (3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	After 10 Years experience in the post as Assistant Block Education Officer will be promote to Block Education Officer.
7	Lecturer Physical Education/ Astt. District Sports Officer	Principal Physical Education College/ Assistant Director (Sports)	5 Years	(1) Chairman of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member. (3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	-
8	Planning Officer/ Assistant Statistic Officer	Assistant Director Planning	5 Years	(1) Chairman of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member. (3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	-
9	Superintendent Class Directed	Assistant Director	5 Years	(1) Chairman of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member.	-

				(3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	
10	Lecturer (Law Section)	Assistant Director Law	5 Years	(1) Chairman of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member. (3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	
11	Senior Accounts Auditor	Accounts Officer	5 Years	(1) Chairman of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member. (3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	
12	Physical Teacher	Assistant District Sports Officer/ Lecturer Physical Education	5 Years	(1) Director Public Instruction - Chairman (2) Joint Director Public Instruction – Member (3) Deputy Director Public Instruction – Member Secretary. (4) Nominated by Director SCERT- Member	
13	Assistant Computer Programmer / Data Entry Operator	Lecturer Cum Assistant Programmer /MIS Administrator	5 Years (Assistant Computer Programmer) Eligibility of promotion for Data Entry Operator high pay scale will be having 5 years experience and for low pay scale will be having 7	(1) Director Public Instruction - Chairman (2) Joint Director Public Instruction – Member (3) Deputy Director Public Instruction – Member Secretary. (4) Nominated by Director SCERT- Member (5) Principal Higher Secondary School -	Promotion will be given after having 3 years experience.

			years experience.	Member	
14.	Additional Chief Librarian	State Chief Librarian	3 Years	(1) President of Public Service Commission or Nominated by him – Chairman. (2) Secretary of School Education Department – Member. (3) Director Public Instruction – Member (4) Deputy Secretary/ Under Secretary of School Education – Member Secretary.	–
15.	Additional Astt. Chief Librarian	Additional Chief Librarian	03 Years	As Above	-
16.	Distt. Librarian	Additional Astt. Chief Librarian	5 Years	As Above	-
17.	Librarian (High pay scale) / Asst. Librarian	Distt. Librarian	10 Years	As Above	Both Librarian (High pay scale) and Asst. Librarian are the same post, only the names are different.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.